

# OFFICE OF THE PRINCIPAL, INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE PANDARIA, DIST. - KABIRDHAM (C.G.)

[Email-pandariacollege@gmail.com](mailto:Email-pandariacollege@gmail.com), [Website- igcollegepandaria.ac.in](http://Website-igcollegepandaria.ac.in)

**दहेज प्रथा: अर्थ एवं परिभाषा**

दहेज शब्द अरबी भाषा 'जहेज' शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका अर्थ होता है - भेंट या सौगात  
नवीन वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार-

"दहेज वह धन, वस्तुएं अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री के विवाह के समय दहेज देने वाले पक्ष द्वारा दहेज लेने वाले पक्ष को दी जाती है।"


दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार-

"दहेज का तात्पर्य किसी भी उस संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं को पक्षों में से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह की आवश्यकता के लिए देना है।"

अर्थात् दहेज का तात्पर्य उस धन या संपत्ति से है जो विवाह के समय दहेज देने वाले पक्ष द्वारा दहेज लेने वाले पक्ष को दी जाती है। दहेज देना एक ऐच्छिक नहीं होता बल्कि किसी न किसी रूप में इसमें बाध्यता समावेश होता है।

दहेज की राशि का निर्धारण साधारणतया विवाह लड़के की पारिवारिक स्थिति, शिक्षा तथा आय के आधार पर होता है। अर्थ में दहेज प्रथा एक तरह की सौदेबाजी है जो हिन्दू विवाह के धर्म प्रकृति के प्रतिकूल है।

Giving or Taking dowry is an offence



**विवाह विच्छेद के दुष्परिणाम  
(Evil Effects of Divorce)**

- भारतीय संस्कृति के विरुद्ध
- अधिक दृष्टिकोण में अव्यवहारिक
- पारिवारिक संगठन के लिए घातक
- बच्चों की समस्या
- अनैतिकता में वृद्धि
- सवेगात्मक संकट
- पुरे परिवार के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव

